मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
(पायलटों का लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण)
विनियम, 2007

MUMBAI PORT TRUST
(LICENSING AND CONTROL OF PILOTS)
REGULATIONS, 2007

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
(पायलटों का लायसेंसिंग एवं नियंत्रण), विनियम 2007

वि ष य सू ची

विनियम			पृष्ठ
	भाग - I		
1.	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	...	4
2.	परिभाषाएं	...	4
	भाग-II		
	लायसेंसिंग -- अर्हता और शर्तें		
3.	अभ्यर्थियों की अर्हता	...	5
4.	पायलट लायसेंस	...	6
5.	पोर्ट में पायलट सेवा में भर्ती होने की शर्तें	...	7
	भाग - III		
	प्रशिक्षण और परीक्षा		
6.	प्रशिक्षण	...	7
7.	परीक्षा के विषय	...	7
8.	परीक्षा समिति	...	8
9.	परीक्षा अनुत्तीर्ण होना	...	8
10.	लायसेंस जारी करना	...	8
11.	पायलटों का वर्गीकरण	...	8
	भाग - IV		
	शोअर स्टेशन - मानिटरिंग एवं नियंत्रण		
12.	प्रवेश-स्थान वर पायलट का जहाज पर/से चढना/उतरना तथा पायलट लाँच/जहाज की पहचान	...	9

विनियम			पृष्ठ
13.	डॉक-मास्टर्स के शोअर-स्टेशन पर कार्य	...	10
14.	पायलट-स्टेशन और शोअर-स्टेशन	...	10
15.	पायलटों का प्रचालनीय नियंत्रण	...	10
16.	अंदर आनेवाले जहाजोंपर चढना	...	10
17.	विशिष्ट परिस्थितियों में अधिक टनेज के जहाजों का कार्यभार संभालने के लिए पायलटों को निदेश देने का अधिकार	...	10
18.	पायलटों की जहाज पर उपस्थिति संबंधी विनियम	...	10

भाग - V

पायलट के कर्तव्य

19.	पायलट द्वारा प्राधिकारियों के आदेशों का पालन	...	10
20.	पायलट का आचरण	...	11
21.	पायलट, उनके द्वारा दी जानेवाली सेवाओं के प्रमाणपत्र प्राप्त करें	...	11
22.	पायलट सही समय पर जहाजों पर चढे	...	11
23.	पायलट द्वारा यह देखना कि जहाज और उसके उपकरण अच्छी स्थिति में है	...	11
24.	पायलट द्वारा जहाज के परिचालन की जानकारी ली जाना	...	11
25.	पायलट के बाहरी कार्यों का आरंभ	...	11
26.	पायलट के बाहरी कार्यों की समाप्ति	...	12
27.	पायलट के आंतरिक कार्यों का आरंभ	...	12
28.	पायलट के आंतरिक कार्यों की समाप्ति	...	12

विनियम			पृष्ठ
29.	जहाजों का स्थान बदलना	...	12
30.	जहाज के बंदरगाह में आगमन पर पायलटों द्वारा रिपोर्ट करना	...	13
31.	यदि सिग्नल प्रतिकूल हो तो, पायलट द्वारा जहाज गोदी में न लाना	...	13
32.	कामपर होने के समय, पायलट अपना लायसेंस आदि साथ रखें,	...	13
33.	लायसेंस गुम हो जाना	...	13
34.	पायलटों द्वारा नौसंचालन चिन्हों, आदि में किन्हीं परिवर्तनों की सूचना देना	...	13
35.	पायलटों द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट देना	...	13
36.	पायलटों द्वारा संगरोध और सुरक्षा अनुपालनों की सुनिश्चिति	...	14
	भाग - VI		
	प्रशासनिक प्रक्रिया		
37.	कंट्रोल स्टेशन (नियंत्रण स्थानक) पर लॉग-बुक रखना	...	14
38.	वरिष्ठ पायलट द्वारा कनिष्ठ पायलटों एवं परिवीक्षाधीन पायलटों को सूचनाएं देना	...	14
39.	पायलटों द्वारा साक्ष्य	...	14
40.	पायलटों द्वारा चार्टस् की परीक्षा	...	15
41.	वर्दी	...	15
	भाग - VII		
	सामान्य		
42.	अर्थनिर्णय	...	15
43.	रद्द करना एवं बनाए रखना	...	15

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पायलटों का लायसेंसिंग एवं नियंत्रण), विनियम 2007

जीएसआर116(E)- मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पढी जानेवाली धारा 124 की उपधारा (1) के परंतुक (प्रोविसो) द्वारा दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा मुंबई पोर्ट (पायलटों का लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) विनियम, 1975 का अधिक्रमण कर मुंबई बंदरगाह का विश्वस्त मंडल कथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुमोदन से निम्न विनियम बनाता है:

भाग - I

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -

(1) ये विनियम मुंबई बंदरगाह (पायलटों का लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) विनियम 2007 कहलाये जायेंगे.

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे.

2. परिभाषाएं - जबतक कि अन्यथा आवश्यक नहीं होगा, तबतक इन विनियमों में :-

(1) "मंडल", "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" शब्दों का अर्थ वही होगा, जो मेजर पोर्ट ट्रस्टस् अधिनियम 1963 (1963 का 38) में है.

(2) "नियंत्रण स्थानक" से तात्पर्य है, वह स्थानक, जहां से पायलटों का जहाज पर चढना/से उतरना और अन्य गतिविधियों का नियंत्रण और मॉनिटरींग किया जाता है.

(3) "उप संरक्षक" - अर्थात वह अधिकारी जिसे पायलटेज का निदेशन और व्यवस्थापन सौंपा गया है.

(4) "डॉक मास्टर"- अर्थात वह अधिकारी जिसे उप संरक्षक द्वारा पत्तन में, जहाजों के वहन के संबंध में सौंपे गये कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है; इसमें वरिष्ठ डॉक मास्टर का भी समावेश है.

---

1. दिनांक 25 अक्तूबर 2005 के न्यासी संकल्प सं.125 के अंतर्गत मंडल द्वारा; तथा पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 25 अप्रैल 2007 के पत्र क्र.पीआर-16014/1/2004-पीजी (1) नुसार केंद्र सरकार द्वारा मंजूर (दिनांक 1 मार्च 2007 से लागू).

2. दिनांक 1 मार्च 2007 से लागू

(5) "हार्बर मास्टर"- अर्थात वह अधिकारी जो उप संरक्षक द्वारा समय-समयपर सौंपे जानेवाले कार्य संपन्न करने के लिए नियुक्त किया गया हो.

(6) "अनिवार्य पायलटेज जल की सीमाएं" से तात्पर्य है कि वे सीमाएं जो भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्धारित है.

(7) "पायलट" से तात्पर्य है; इन विनियमों के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त ऐसा अधिकारी; जो, उपसंरक्षक द्वारा उसे सौंपे गए पायलटेज और अन्य कार्य करता है और इनमें "मास्टर पायलटों" का भी समावेश है.

(8) "पायलट लायसेंस" से तात्पर्य है, किसी व्यक्ति को, जहाजों का, पत्तन की पत्तन सीमा के भीतर पायलटेज करने हेतु दिया गया लायसेंस.

(9) "बंदरगाह" - अर्थात मुंबई बंदरगाह.

भाग - II

लायसेंसिंग : अर्हता और शर्ते

3. उम्मेदवार की योग्यताएं -

(1) पायलट लाइसेंस का उम्मेदवार :-

(क) भारतीय राष्ट्रीयत्व का हो

(ख) अच्छे चरित्र एवं संयम का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें

(ग) उसके पास :

(i) भारत सरकार या उसके समकक्ष (प्राधिकार) द्वारा दिया जानेवाला "सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटन्सी अॅज मास्टर फॉरेन गोइंग (विदेश जानेवाले) के नाते सक्षम होने का प्रमाणपत्र होगा, और यदि उसके पास विदेश जानेवाले जहाजपर "फर्स्ट मेट" के रुप में काम का छः महीनों का अनुभव हो, तो उसे वरियता दी जाएगी." या

(ii) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया निकर्षण मास्टर का प्रमाणपत्र धारण किया हुआ हो तथा निकर्षण मास्टर के रुप में अधिमानतः कम से कम दो वर्षों का अनुभव हा; या

(iii) नौवहन महानिदेशालय के साथ समय-समयपर परामर्श करके मंडल द्वारा जो भी निर्णय लिया गया हो उसके अनुसार पायलटों के आंतरिक प्रशिक्षण में पोर्ट में पायलट के रुप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हुआ हो.

(घ) ऐसे काम के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किसी चिकित्सा प्राधिकारी से वह शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा; और

(च) जबतक अध्यक्षद्वारा अन्यथा तय नहीं होता तबतक वह परिवीक्षा प्रशिक्षण के लिए कम से कम छः महीनों की अवधि व्यतीत करेगा, और निर्धारित परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होगा.

बशर्ते कि निम्नलिखित पर्याप्त तथा वैध कारणों के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि छः माह से अधिक बढायी जाए. जैसे कि, -

(i) उम्मेदवार उसकी अपनी बीमारी के कारण प्रशिक्षण के पक्ष पूर्ण करने में असमर्थ रहा हो या उसे पर्याप्त तथा वैध कारणों के लिए अवकाश लेना पडा हो या किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आपत्तिक स्थिति हो;

(ii) पोर्ट या भारत सरकार के हित में परिवीक्षाधीन पायलट को कुछ अन्य कार्य भी सौंपना आवश्यक होता है (पूर्व करार के साथ) जैसे कि निकर्षण मास्टर, बर्थिंग मास्टर, आदि तथा इस कारण वह अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाया हो;

(iii) किन्हीं वैध कारणों के लिए उम्मेदवार बारह महिनों की निर्धारित अवधि में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता हो तथा अध्यक्ष के विचारों से उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समुचित अवसर दिया जाना जरुरी हो;

(iv) अजा/अज के उम्मेदवारों के बारे में, विशेष अतिरिक्त प्रशिक्षण / मार्गदर्शन आवश्यक प्रतीत होता हो.

बशर्ते आगे की निम्न परिस्थितियों में परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि कम की जा सकती है.

(i) यदि परिवीक्षाधीन पायलट मुंपोट्र में पायलट रहा हो तथा बाद में मुंपोट्र में फिरसे शामिल हुआ है.

(ii) यदि भविष्य में प्रशिक्षण के लिए अनुरुपक (simulator) जैसी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया हो.

4. पायलट लाइसेंस

(1) किसी विशिष्ट पत्तन में पायलट का कार्य करने के लिए हर एक पायलट (और मास्टर पायलट) पायलट लाइसेंस प्राप्त करेगा. यह लाइसेंस केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त होने पर और उप संरक्षक के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा.

(2) पोर्ट से अपना संबंध समाप्त करनेवाला पायलट अपना लाइसेंस तुरंत उप संरक्षक के सुपूर्द करेगा.

(3) निम्न परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है :-

(क) आचरण तथा अनुशासन नियमों के अधीन दुराचरण तथा/या दुराचरण जो साबित हुआ हो;

(ख) व्यावसायिक दुराचरण;

(ग) नौवहन हताहत (दुर्घटनाएँ) जहाँ उस दुर्घटना की जाँच के बाद व्यावसायिक सक्षमता पर सवाल खडा किया गया हो या लापरवाही साबित हुई हो;

(घ) जहाँ सागरी दुर्घटना पर गठित किये गये औपचारिक जाँच न्यायालय ने दुर्घटना के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया हो;

(च) यदि सेवा समाप्ति के बाद उपरोक्त (2) की आवश्यकतानुसार लायसेंस लौटाया न हो;

(छ) पायलटेज कार्य के लिए स्वस्थता की दृष्टि से अयोग्य पाया गया हो;

(4) पायलटेज सेवा में, उपसंरक्षक के पद तक अनुवर्ती पदोन्नतियाँ मिलने पर भी पायलट अपना लायसेंस बनाए रखेगा और आवश्यकतानुसार जहाजों का पथप्रदर्शन जारी रखेगा.

5. पोर्ट में पायलट सेवाओं में प्रवेश के लिए शर्तें -

जबतक कोई व्यक्ति अध्यक्षजी को संतोष नहीं दिलाता कि वह निम्न शर्तें पूरी करता है, तबतक उसे पायलट के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगाः

(क) मंडल के अधीन पदोंपर सीधी भरती के लिए योग्यता की शर्तें जो इससे संबंधित विनियम में निर्धारित की गई है,

(ख) जबतक अध्यक्ष द्वारा यह शर्त अन्यथा शिथिल नहीं की जाती; तबतक परिवीक्षाधीन पायलट के रुप में नियुक्ति होने की तिथि पर उसकी आयु 25 से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और

(ग) उसके पास विनियम 3 में विनिर्दिष्ट योग्यताएँ होनी चाहिए.

भाग - III

प्रशिक्षण और परीक्षा

6. प्रशिक्षण

1) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन पायलट को पायलट का कार्य, बंदरगाह के लाईट, सीमा चिन्ह (लैंडमार्क), बोएज तथा बंदरगाह के पायलटेज वॉटर में जहाजों का परिचलन, बंदरगाह में जहाजों का लंगर डालना/निकालना, पोर्ट ट्रस्ट के निजी निकर्षण पोतो का परिचलन और उनके निकर्षण उपकरणों का प्रचालन आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी.

2) प्रशिक्षण पूरा होनेपर, उप संरक्षक की अनुमति प्राप्त हो, तो परिवीक्षाधीन पायलट जहाज चलाने के लिए अपनी योग्यता की परीक्षा देने का आवेदन कर सकता है.

7. परीक्षा के विषय -

परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होगे :

- बंदरगाह में नौसंचालन तथा गोदियों एवं पोतघाटों के प्रवेशमार्गों के लिए तैयार किये गये विनियम और नियम;
- किन्हीं दो स्थानों के बीच मार्ग और अंतर;
- लहरों का ज्वार भाटा
- लंगरगाह, पत्थर, उथलापानी एवं अन्य खतरे, बंदरगाह में सीमाचिन्ह, बोयाज, संकेतक और लाइटस्;
- जहाजों एवं स्टीमरों का व्यवस्थापन, उन्हें लंगर डालने के लिए लाना तथा ज्वार भाटा में उन्हें लंगरों से मुक्त रखना;
- लंगर डालना, उठाना और मार्गस्थ होना;

- सभी स्थितियों में जहाज संभालना और
- परीक्षा समिति द्वारा निश्चित किये जानेवाले ऐसे अन्य विषय

8. परीक्षा समिति

निम्नप्रकार गठित की गई परीक्षा समिति परिवीक्षाधीन पायलटों की परीक्षा का आयोजन करेगी :-

1. उपसंरक्षक - अध्यक्ष
2. हार्बर मास्टर - सदस्य
3. डॉक मास्टर - सदस्य
4. मास्टर पायलट - सदस्य
5. जहाज (विदेश जानेवाले) का स्वतंत्र मास्टर मरीनर - सदस्य

9. परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफलता -

उसकी नियुक्ति से बारह महीनों के अंदर यदि परिवीक्षाधीन पायलट विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो उसे निकाल दिया जा सकता है.

10. लाइसेंस जारी करना -

1. उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद पाइलट को उपरोक्त 4 के अधीन पायलट लाइसेंस प्रदान किया जाएगा.
2. पायलट लाइसेंस की फीज औद यदि वह खो गया तो उसके नवीकरण की फीज, मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारत की जाएगी.

11. पायलटों का वर्गीकरण -

1. लाइसेंस दिए जाने के बाद पायलट को निम्नप्रकार से जहाज चलाने की अनुमति दी जाएगी.

   (क) प्रथम छः महीनों के दौरान, जहाज को घाट पर लगाने से संबंधित सेवाओं से संलग्न तथा इंदिरा और प्रिन्सेस एवं विक्टोरिया गोदियों के बंदरगाहों में घाट पर लगाने/घाट से हटाने संबंधित प्रचालन करना.

   (ख) अगले छः महीनों के दौरान, अधिक से अधिक 10,000 टन्स ग्रॉस टनेज और अधिक से अधिक 25 फीट डुबाव (ड्राफ्ट) के जहाज (टँकर एवं युध्द पोत [मेन-ऑफ वॉर] छोडकर);

   (ग) अगले छः महीनों के दौरान, अधिक से अधिक 12000 टन्स ग्रॉस टनेज के जहाज (भरे हुए पेट्रोलियम टँकर्स एवं युध्द पोत [मेन-ऑफ वार] छोडकर);

   (घ) अगले छः महीनों में अधिक से अधिक 16,000 टन्स ग्रॉस टनेज के जहाज (पीर पाऊ एवं जवाहर द्वीप जानेवाले टँकर छोडकर. पर जवाहर

द्वीप तथा पीर पाव से आनेवाले अधिक से अधिक 25 फुट गहराईवाले टँकर सम्मिलितकर);

(च) अगले छः महीनों में अधिक से अधिक 16,000 टन्स ग्रॉस टनेज के जहाज (पीर पाऊ एवं जवाहर द्वीप को जानेवाले तथा वहाँ से निकलनेवाले अधिक से अधिक 25 फुट गहराईवाले टँकर सम्मिलितकर);

(छ) अगले छः महीनों में अधिक से अधिक 20,000 टन्स ग्रॉस टनेज के जहाज (पीर पाऊ एवं जवाहर द्वीप को जानेवाले तथा वहाँ से निकलनेवाले 30 फुट से अधिक गहराईवाले टँकर छोडकर);

(ज) अगले छः महीनों में अधिक से अधिक 20,000 टन्स ग्रॉस टनेज के जहाज (पीर पाऊ एवं जवाहर द्वीप को जानेवाले तथा वहाँ से निकलनेवाले 35 फुट से अधिक गहराईवाले टँकर छोडकर);

(झ) अगले छः महीनों में अधिक से अधिक 60,000 टन्स ग्रॉस टनेज के जहाज

(ट) इसके बाद बिना किसी निर्बन्धनों के टनभार के जहाज.

(2) एक वर्ग से दूसरे उच्च वर्ग में पायलट का स्थानांतरण उप संरक्षक के अनुमोदन से होगा.

(3) किसी अन्य पत्तन में पायलटेज का अनुभव होनेवाले पायलट ने अगर यहां कार्यारंभ किया हो, तो उप-संरक्षक के विवेकाधिकार के अनुसार उसे अधिक टनेज का जहाज सौंपा जा सकता है.

भाग - IV
शोअर स्टेशन-मॉनिटरिंग और नियंत्रण

12. पायलट लॉंच/जहाज की पहचान सहित पत्तन के प्रवेश स्थल पर पायलट का जहाज पर चढना/से उतरना

(i) पायलट लॉंच से, प्रांग्स रीक बोया के पूर्वी स्थल पर या डॉक मास्टर नियंत्रण स्थानक द्वारा निदेशित किसी अन्य उचित और सुरक्षित स्थान पर पायलट अंदर आनेवाले जहाजों पर सवार होगा और बाहर जानेवाले जहाजों पर से उतरेगा.

(ii) पायलट लॉंच पर "पायलट" शब्द उसके मध्य में दोनों तरफ लिखा होगा.

(iii) पूरे दिन के दौरान, पायलट लॉंच आंतरराष्ट्रीय विनियमों के अनुसार दिन/रात के सिग्नल्स प्रदर्शित करेगा.

13. डॉक मास्टर्स का शोअर स्टेशन पर कार्य -

डॉक मास्टर्स, उप संरक्षक द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेश के अनुसार तय अवधि के लिए, बारी बारी से विभिन्न शोअर स्टेशनोंपर अपना कार्य करेंगे. नियंत्रण स्थानक पर तैनात डॉक मास्टर, जलयान यातायात सेवा स्टेशन के नियंत्रण सहित, उपसंरक्षक द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार काम करेगा.

14. पायलट स्टेशन और शोअर स्टेशन

नियंत्रण स्थानक स्थित डॉक मास्टर, मास्टर पायलटों /पायलटों का जहाज पर चढना/ से उतरना मॉनिटर करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा.

15. पायलटों का प्रचालनीय नियंत्रण -

पोर्ट के अंदर किसी भी लंगरगाह, घाट, गोदी पर, जहाज पोर्ट में आते समय या जाते समय, लंगर डालने या निकालने के समय, घाट लगाते समय या घाट से हटाते समय मास्टर पायलट और जहाजों के पायलटेज प्रभारी पायलट हार्बर मास्टर और हार्बर मास्टर की ओर से डॉक मास्टर्स के नियंत्रणाधीन होंगे.

16. "अंदर आनेवाले जहाजों पर चढना" आदि -

"डॉक मास्टर नियंत्रण स्टेशन यह सुनिश्चित करेगा कि मास्टर पायलट एवं पायलट अपनी बारी पर अंदर की ओर आनेवाले जहाजों पर पायलटों की आवश्यकतानुसार विधिवत सवार होते हैं तथा, यह भी सुनिश्चित करेगा कि, बाहर जानेवाले जहाजों से मास्टर पायलट/पायलट उतारे जाते हैं"

17. "कुछ विशेष परिस्थितियों में पायलटों को अधिक टनभारवाले जहाजों का कार्यभार संभालने के निदेश देने का अधिकार -

जो पायलट जितने टनेज का जहाज चलाने के लिए योग्य ठहराया गया है, उससे अधिक टनेज का जहाज चलाने के लिए यदि आवश्यक हो, तो डॉक मास्टर नियंत्रण स्टेशन पायलट को निदेश दे सकता है. इस तरह के हर मामले में अपनी दृष्टि से ऐसी कार्यवाही के लिए बाध्य करनेवाले कारण बताते हुए डॉक मास्टर नियंत्रण स्टेशन, उप संरक्षक को या उप संरक्षक द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी को तुरंत एक लिखित रिपोर्ट भेजेगा.

18. पायलटों की जहाजपर उपस्थिति के विनियम

नियंत्रण स्थानक पर कार्यरत डॉक मास्टर, सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार पायलटों को जहाज पर तैनात करेगा. इस काम में ऐसी तैनाती के लिये उपसंरक्षक द्वारा दिए गए आदेश मार्गदर्शक रहेंगे.

भाग - V

पायलट का कार्य

19. पायलट प्राधिकारी के आदेशों का पालन करे

सभी पायलट एवं मास्टर पायलट, जहाजों को गोदी में लाना - गोदी से निकालना, खींचना, उनका परिवहन, जहाजों को घाट लगाना, घाट से निकालना, उन्हें हटाना इन कामों से

संबंधित तथा पोर्ट ट्रस्ट की मालिकी के सक्शन निकर्षकों के कार्य तथा सम्हलाई के संबंध में उपसंरक्षक या उनके द्वारा नामित अधिकारी के दिये गए सभी आदेशों का पालन एवं कार्यान्वयन करेंगे.

20. पायलट का आचरण

पायलट हर वक्त सख्त संयम रखेगा. जबतक वह जहाज का कार्यभारी है, तबतक वह उस जहाज की तथा अन्य जहाजों की एवं जहाजोंपर होनेवाली संपत्ति की सुरक्षा के लिए सचेत रहेगा, अत्याधिक सावधानी बरतेगा. जब आवश्यकता हो, वह साऊंडिंग्ज (गहराई) मॉनिटर करेगा ता कि नौतल के नीचे हर वक्त पर्याप्त पानी है यह देखते हुए नौतल की निर्बाधता की सुनिश्चिति हो. जहाज मालिक अथवा प्रभारी अधिकारी के लिखित आदेश के बगैर पायलट जहाज को कभी भी जमीन से लगने नहीं देगा.

21. पायलट उनके द्वारा दी गयी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे -

जहाज पर चढ़ने का बाद पायलट पायलटेज कागजातों पर मास्टर के हस्ताक्षर लेगा (समुद्री संबध्द प्रभार लगाने हेतु, जहाज के आगमन/प्रस्थान संबंधी जानकारी)

22. पायलट सही/ठीक समय पर जहाज पर चढेंगे -

बाहर जानेवाले अथवा अपने खडे रहने के घाट से हटाये जानेवाले जहाज का कार्यभार ग्रहण करनेवाला पायलट नियत समय पर अर्थात जहाज को समुद्र में या उसके गंतव्य स्थानपर ले जाने के लिए पर्याप्त समय रखते हुए जहाजपर जाकर प्रमुख अधिकारी को रिपोर्ट करेगा.

23. पायलट यह देखे कि जहाज और उसके उपकरण अच्छी स्थिति में हैं.

पायलट जहाज का प्रभार लेने के पहले, जहाज के मास्टर से यह पता लगायेगा कि, क्या जहाज की मुख्य इंजने, स्टीअरिंग प्रणाली और अन्य नौसंचालनीय उपकरण अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं.

24. पायलट जहाज के प्रचालनों से खुद को वाकिफ कराए

सभी पायलट जहाज पर चढने से पहले जहाज के बंदरगाह में प्रचालनों के एवं उसपर चढे हरेक पायलट से वाकिफ हो लें.

25. पायलट के प्रस्थान कार्यों का प्रारंभ -

बाहर जानेवाले जहाजों के संबध में पायलट के कर्तव्यों का प्रारंभ होगा -

(i) इंदिरा गोदी एवं प्रिन्सेस एवं व्हिक्टोरिया गोदी में जहाज के लॉक अथवा गोदी प्रवेशद्वारों को पार कर जाने और डॉक मास्टर द्वारा "सब ठीक" का संकेत दिये जाने पर

(ii) बॅलार्ड पियर, हार्बर वॉल बर्थ, पीर पाऊ जेटी एवं बूचर द्वीप में जहाज अनमूरिंग के लिए रवाना होने पर

(iii) हार्बर में - जहाज चढने पर

26. पायलट के प्रस्थान कार्यों की समाप्ति -

(i) बाहर जानेवाले जहाजों के संबंध में पायलट के कार्य जहाज को सवार होने/उतरने के स्थान तक ले आने के बाद पूरे होंगे.

(ii) जहाज छोडने से पहले पायलट जहाज की स्थिति देख ले और पायलटेज पेपर पर उसकी प्रविष्टियाँ करे.

27. पायलट के आगमन कार्यों का प्रारंभ -

अंदर आनेवाले जहाज के संबंध में पाइलट का कार्य तब से प्रारंभ होगा, जब वह अनिवार्य पायलटेज जलक्षेत्र (कंपल्सरी पायलटेज वॉटर्स) की सीमाओं के अंदर खडे किसी भी स्थानपर जहाज पर प्रवेश करेगा.

28. पायलट के आगमन कार्यों की समाप्ति -

अंदर आनेवाले जहाजों के संबंध में पायलट के कर्तव्य पूरे होंगे -

(i) इंदिरा, प्रिन्सेस और व्हिक्टोरिया गोदियों में - लॉक या गोदी प्रवेश मार्ग में जहाज के सुरक्षित प्रवेश करनेपर;

(ii) बॅलार्ड पियर, हार्बर वॉल बर्थ, पिर पाऊ जेट्टी और बूचर द्वीप में - जहाज अपने घाटपर सुरक्षित रुप में बंध जानेपर;

(iii) हार्बर में जहाज के अपने घाट में सुरक्षित रुप में लंगर डालने या बंध जानेपर.

29. जहाजों का स्थान बदलना -

निम्न शर्ते पूरी किये बिना कोई भी पायलट पोर्ट में जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थानपर नहीं ले जाएगा या ले जाने के निदेश नहीं देगा -

(i) यदि जहाज रवाना हो रहा है, तो मास्टर जहाजपर होगा.

(ii) यदि जहाज की मूवमेन्ट पूर्ण होने से पहले मास्टर जहाज छोडकर जाय, तो पायलट ऐसे किसी सुरक्षित स्थानपर जहाज का लंगर डालने के निदेश देगा, जहाँ पहुँचना जहाज के लिए सबसे आसान हो. मास्टर के जहाजपर लौटने तक वह जहाज आगे बढाने के निदेश नहीं देगा.

(iii) संपूर्ण मूव्हिंग के दौरान जहाज पर होनेवाले एवं कार्य के लिए उपलब्ध अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या किसी भी आवश्यक कार्य के लिए पर्याप्त होगी. यदि जहाजपर चढने के बाद पायलट के मतानुसार संख्या पर्याप्त नहीं होगी, तो वह पोर्ट नियमों की ओर मास्टर का ध्यान आकर्षित करेगा तथा मास्टर ने संपूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए घोषणापत्रपर हस्ताक्षर किये बिना मूव्हिंग जारी रखना स्वीकार नहीं करेगा.

स्पष्टीकरण : यदि "मास्टर" कार्यालय में अपना कार्य करने में असमर्थ होगा, तो उसका कार्य संभालने के लिए प्राधिकृत "प्रथम" या अन्य कोई अधिकारी भी इस विनियम के "मास्टर" के अर्थ में निहित है.

30. जहाज से उतरने पर पायलट रिपोर्ट करें -

जहाज अंदर लाने और/तथा प्रवाह में उसे चलाने के बाद अथवा पायलट जहाज से लौटने पर पायलट बिना विलंब उप संरक्षक द्वारा निर्धारित अधिकारी के पास अगली ड्युटी के लिए रिपोर्ट करेगा.

31. जब भी सिग्नल प्रतिकूल हो, पायलट जहाज को गोदी में न लाए.

शोअर-स्टेशन ने, ऐसा करने को निर्बाधता दर्शाने तक पायलट; जहाज को गोदी बर्थ के पास नहीं लाएगा.

32. पायलट जब भी कामपर हो, अपने साथ अपना लायसेंस आदि रखे -

पायलट कामपर होते समय, हमेशा अपने पास पोर्ट का टाइड-टेबल पोर्ट नियमों की प्रति, गोदी उप-विधि, उस समय प्रचलित पायलटेज विनियम और अपना लाइसेंस रखेगा.

33. लाइसेंस खो जाना -

यदि लाइसेंस खो जाता है, तो वह किन परिस्थितियों में खो गया, यह स्पष्ट करते हुए पायलट उप संरक्षक को इसकी सूचना देगा. अगर उप संरक्षक को इस बात से समाधान हो जाय कि पायलट की किसी गलती या लापरवाही से लाइसेंस नहीं खो गया है, तो वह पायलट को दूसरा लाइसेंस दिलाने की व्यवस्था करेगा.

34. पायलट नौसंचालन चिन्हों आदि में पायें गये परिवर्तनों की जानकारी देंगे -

चॅनेल की गहराई में कोई परिवर्तन पाया गया अथवा यह देखा गया कि बोया, संकेतदीप या दीप जलयान दूर चलाया गया, टूट गया, क्षतिग्रस्त हुआ अथवा अपने स्थान से हट गया हो तो या नौसंचालन की सुरक्षा पर असर करनेवाली अन्य कोई परिस्थिति देखी गयी; तो पायलट उसकी विस्तृत लिखित रिपोर्ट उप संरक्षक को भेजेगा.

35. पायलट द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट देना -

(i) जहाज का कार्यभार संभालते हुए जहाज के साथ अथवा जहाज के कारण जब भी कोई दुर्घटना हो जाय तो पायलट इसी प्रकार के रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रपत्र में तथ्यों की एक लिखित रिपोर्ट जल्द से जल्द उप संरक्षक को प्रस्तुत करेगा.

(ii) यदि जहाज के कारण पोर्ट की संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचा तो भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15) के अनुसार एवं महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) के तहत पत्तन की तरफ से पायलट जहाज के मास्टर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एक पत्र लिखेगा और उसकी अभिस्वीकृति भी लेगा.

36. पायलट द्वारा संगरोधन और सुरक्षा संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना -

अंदर आनेवाले जहाज पर चढने के बाद पायलट, मास्टर से स्वास्थ्य का आंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र प्राप्त करेगा और अगर घोषणापत्र में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हों तो संगरोध-मुक्त घोषित करेगा. अगर किसी प्रश्न का उत्तर सकारात्मक आता हो या पायलट को कोई शक हो तो वह तुरंत नियंत्रण स्थानक पर स्थित डॉक मास्टर को सूचित करेगा, जो यह जानकारी पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को भेजेंगे तबतक पायलट उचित अँकरेज में जहाज का लंगर डालेगा और पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी की सूचनाओं की प्रतीक्षा करेगा.

जहाज पर चढने के बाद पायलट, नियंत्रण स्थानक पर स्थित डॉक मास्टर से या इंटरनेशनल शिप ॲन्ड पोर्ट सिक्यूरिटी के अनुपालन के बारे में नामित अधिकारी से संपर्क करेगा.

भाग - VI
प्रशासनिक गतिविधियाँ

37. नियंत्रण स्थानक पर लॉग बुक रखना -

नियंत्रण स्थानक का डॉक मास्टर अपने पास एक लॉग बुक रखेगा, जिसमें उप संरक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट बातों का ब्यौरा होगा. नियंत्रण स्थानक का प्रभारी अधिकारी उप संरक्षक के आदेश के अनुसार लॉग बुक निरीक्षण के लिए उप संरक्षक को उसने निर्देशित किये अंतराल के बाद अग्रेषित करेगा.

38. वरिष्ठ पायलट कनिष्ठ पायलटों एवं परिवीक्षापर होनेवाले पायलटों को सूचनाएँ देगा -

वरिष्ठ पायलट कनिष्ठ एवं परिवीक्षापर होनेवाले पायलटों को पायलट के कार्य के सभी पहलुओं के बारे में सूचनाएँ देगा, और सहायता करेगा.

39. पायलटों ने गवाही देना -

जब तक पायलट के नाम समन्स नहीं है, तब तक वह उप संरक्षक की पूर्व-संमति के बिना ऐसे किसी भी मुकदमे अथवा पूछताछ में गवाही नहीं देगा, जिसमें वह स्वयं पार्टी न हो. गवाही देने के लिए समन्स दिये जानेपर पायलट उप संरक्षक को तुरंत उसकी लिखित सूचना देगा.

40. पायलट द्वारा तख्तों (चार्टस्) का निरीक्षण

पोर्ट और पोर्ट संबंधी अन्य जानकारी के अद्यतन रेखांकन एवं तख्तों के निरीक्षण के लिए सभी पायलट नियमित रुप से उप संरक्षक या हार्बर मास्टर के कार्यालय में जाते रहेंगे.

41. वर्दी -

पायलटेज सेवा से संबधित सभी अधिकारी काम पर होते समय पोर्ट द्वारा निर्धारित वर्दी पहनेंगे.

भाग - VII
सामान्य

42. अर्थ निर्णय (इंटरप्रिटेशन)

इस विनियमों के अर्थ के संबंध में कोई प्रश्न उपस्थित हो, तो उसे अध्यक्षजी को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाएगा.

बशर्ते कि कोई भी पायलट अध्यक्ष के आदेश की प्राप्ति के साठ दिनों के अंदर मंडल को प्रतिवेदन करे तथा मंडल तद्नुसार उसे जैसा उचित लगे वैसे आदेश दें.

43. रद्द करना और बनाए रखना

इस विनियमों के लागू होने पर मुंबई पोर्ट (पायलटों के लायसेंसिंग और नियंत्रण) विनियम 1975 रद्द माने जाएंगे बशर्ते कि -

(क) इस प्रकार का निरसन (repeal) उक्त विनियमों या आदेशों या पध्दतियों या उनके अधीनस्थ की गई कार्रवाईयों या गतिविधियों को प्रभावित नहीं करेगा.

(ख) इन विनियमों के प्रचलित होते समय; उक्त विनियमों के तहत लंबित कार्यवाही जहां तक व्यवहार्य हो; इन विनियमों के अंतर्गत चलाई और निपटायी जाएगी.